संख्या 180 190417

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या 108/2017-2018

फाइल संख्या F-35623

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मुरता देवी मुन्नर यादव एजुकेशनल एण्ड

वेलफेयर सोसाइटी।

ग्राम बिहामदपुर पो0 आशापार तहसील जलालपुर जिला–अम्बेडकरनगर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र संख्या 49/2012-13

दिनांक 13/04/2012 को दिनांक 13/04/2017 से पाँच वर्ष की अवधि

के लिये नवीकृत किया गया है।

1000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 19/04/2017

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

श्रीमान उपनिबन्धक महोदय,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
फैजाबाद

विषयः– संस्था का पंजीकरण करवाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संस्था **'मुरता देवी मुन्नर यादव एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी,** ग्राम बिहामदपुर पो.आशापार तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर, का गठन किया गया है। संस्था के स्मृतिपत्र, नियमावली व शपथपत्र की प्रति इस प्रत्र के साथ संलग्न है।

आपसे निवेदन है कि संस्था **'मुरता देवी मुन्नर यादव एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी,** का पंजीकरण करके प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करे।

सहयोग की अपेक्षा के साथ।

प्रार्थी
गीता यादव
प्रबन्धक 04/03/12
'मुरता देवी मुन्नर यादव एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी,

संलग्न :–

1. संस्था की स्मृति–पत्र एवं नियमावली
2. शपथपत्र

स्मृति–पत्र

1. **संस्था का नाम** : **मुरता देवी मुन्नर यादव एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी**

2. **संस्था का पता** : **ग्राम बिहामदपुर,पो.आशापार,तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर**

3. **संस्था का कार्यक्षेत्र** : **सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश**

4. **संस्था का उद्देश्य :**

1. शिक्षा, ललित कला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जानकारी लोगों तक पहुँचाना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।
2. बालक एवं बालिकाओं को उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी भाषाओं का समुचित ज्ञान कराना।
3. बालक–बालिकाओं को कृषि, विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि वर्ग के साथ शिक्षा प्रदान करना।
4. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार संगोष्ठी, सेमिनार प्रदर्शनी आदि के द्वारा उत्तम नैतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्यों का प्रचार–प्रसार करना एवं बढ़ावा देना।
5. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शैक्षाणिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, त्वरित शिक्षा, सतत शिक्षा,प्रतियोगात्मक शिक्षा, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स शिक्षा,कम्प्यूटर शिक्षा,औद्योगिक शिक्षा,प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा,आधुनिक शिक्षा,तकनीकी शिक्षा, आदि का निःशुल्क संचालन करना।
6. बालक–बालिकाओं के शैक्षिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्विक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना।
7. क्षेत्र में शैक्षिक विकास हेतु बालक विद्यालय, बालिका विद्यालय, विकलांग विद्यालय, कालेजों की स्थापना करना जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना।
8. ज्ञानार्जन हितार्थ वाचनालय, पुस्तकालय आदि की स्थापना एवं निशुल्क संचालन करना।
9. शिक्षा के माध्यम से बालक–बालिकाओं को विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस, मलेरिया, फाइलेरिया, एड्स, आदि के प्रति जागरूक करना।
10. छात्रों–छात्राओं के लिए छात्रावास आदि की व्यवस्था करना।
11. समाज में फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे छूआ–छूत,अंधविश्वास, आदि का शिक्षा के माध्यम से दूर करने का प्रयास करना।
12. बालक–बालिकाओं के लिए संगीत कला, हस्तकला, शिल्पकला कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।
13. कमजोर, विकलांगों तथा निर्बल वर्ग के बालक–बलिकाओं के लिए विशेष शिल्प कला, चित्रकला,टाइप,शार्ट हैन्ड, सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना जिससे वे स्वावलम्बी बन सके।
14. शिक्षा के माध्यम से समाज में बढ़ रही प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, मद्यनिषेध, नशाउन्मूलन व अन्य कुरीतियों को दूर करने हेतु जागरूकता पैदा करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना।
15. रोजगार परख प्रशिक्षण,मौलिक अभिनवीकरण प्रशिक्षण, इत्यादि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार,बैंक इत्यादि से एस.जी.एस.वाई / एन.आर.एल.एम योजना अन्तर्गत अनुबंध कर संचालित करना एंव अन्य सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण सम्बन्धी भी निःशुल्क संचालन करना।

15\. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण,सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान,स्वच्छ पेयजल,नाली,साफ सफाई,स्वजल,जलनिधि, स्वजल धारा परियोजना,शौचालय,प्याऊ,पौशाला,हैण्डपम्प सामाजिक वानिकी,जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रम एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में योगदान प्रदान करना।

गीता यादव
राजमति
मुन्नर यादव
महेन्द्र
राजेश गौतम
कृष्ण कुमार
प्रदीप
परशुराम
राजेन्द्र
प्रभाकर
रामशब्द

16. समाज के युवक / युवतियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, शिल्प कला, हस्तकला, दस्तकारी, ललित कला, संगीत, नृत्य, थियेटर, अभिनय, फोटोग्राफी, क्रियेटिव राइटिंग, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाईनिंग, चिकन, जरी, डालमेकिंग, फलावार मेकिंग, कम्पयूटर, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिन्टिंग, स्क्रीन प्रिन्टिग, आफसेट प्रिन्टिंग पेन्टिग वाल पेन्टिंग, इन्टीरियर डिजाईनिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करना।

17. शिक्षा की आवश्यकता नारी शिक्षा एवं महिलाओं के लिए समान अधिकार जैसे मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाने हेतु प्रयास करना।

18. समाज के निर्धन वर्ग को स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों से अवगत कराना तथा उनके स्वस्थ्य जीवन लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

19. घातक संक्रामक बीमारियों जैसे टी.बी., एड्स, मलेरिया, कैंसर, मधुमेह, फाइलेरिया, पोलियों, हेपेटाइटिस आदि महामारी के प्रति लोगों को जागरूक व टीकाकरण कराना।

20. फल प्रसंस्करण,फल एंव उद्यान को बढ़ावा देने हेतु सेमीनार,गोष्ठी,चौपाल आदि का आयोजन करना तथा वैज्ञानिक ढंग से फलों एंव उद्यान की लोगों को जानकारी देना एंव जेयम,जैली,मुरब्बा,आधार आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

21. आर. सी. एच0 कार्यक्रम सिफ्सा योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को सम्पादित करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व बच्चा केन्द्र की व्यवस्था करके टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि की व्यवस्था करना।

22. अनमोल जड़ी बूटियों के उत्पादन में बृद्वि हेतु किसानों को प्रशिक्षित करना। जड़ी बूटियों के उपयोग,कलेक्शन विपणन की व्यवस्था करना एंव उत्पादकों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देना। आयुर्वेद चिकित्सा पद्वति से निःशुल्क इलाज करना।

23. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,नाबर्ड, कपार्ट आबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, ड्वाकारा, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, आक्सकेम इण्डिया केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास एवं सैनिटरी मार्ट कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार व संचालन करना।

24. संस्था द्वारा ग्राम उद्योगों की स्थापना करना व प्रशिक्षण सहित व्यवस्था करना व समाज के नवजवानों को स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वालम्बन की भावना जाग्रत करना।

25. ग्रामीण किसानों, मजदूरों एवं कारीगरों को ग्रामोद्योग सम्बंधी तकनीकी जानकारी दिलवाना तथा ग्रामोद्योग प्रशिक्षण दिलाकर उनमं आत्म विश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

26. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा संचालित ग्रामोद्योग की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना।

27. ऊसर भूमि सुधार आदि सम्बन्धी कार्यकमों का संचालन करने का प्रयासकरना।

28. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, पेट्रोलियम बचत, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बंधुवा मजदूर उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, मद्य निषेध, महिलाओं को समानता का अधिकार, पंचायती राज भारत सरकार की योजनाओं के प्रसार–प्रचार के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

गीता यादव
मुन्नर यादव
राजेश गौतम
कृष्ण कुमार
प्रदीप
परशुराम
प्रभाकर
रामशब्द

5 संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको इस संस्था के स्मृति–पत्र तथा नियमावली के अनुसार कार्यभार सौपा गया है ।

क्र.सं.	नाम–पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री मुन्नर यादव पुत्र स्व.रामनाथ	ग्राम बिहामदपुर,पो.आशापार, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकरनगर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्रीमती गीता यादव पत्नी श्री जगदीश यादव	ग्राम बिहामदपुर,पो.आशापार, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेडकरनगर	प्रबन्धक	समाजसेवी
3	श्री रामशब्द पुत्र स्व.भैरोदीन	ग्राम केरा पउवा,निमटिनी,पो.दुल्हूपुर, जिला अम्बेडकरनगर	कोषाध्यक्ष	कृषि
4	श्री राजमणि यादव पुत्र श्री श्रीराम यादव	ग्राम व पो.खण्डौरा, जिला आजमगढ़	सदस्य	कृषि
5	श्री महेन्द्र यादव पुत्र श्री तिलकधारी यादव	ग्राम मजीरा, पो.रफीगंज,जलालपुर, जिला अम्बेडकरनगर	सदस्य	कृषि
6	श्री राजेन्द्र यादव पुत्र श्री लहुरी यादव	ग्राम खजुरी करौंदी,पो.बेलउआ वरियारपुर, जिला अम्बेडकरनगर	सदस्य	कृषि
7	श्री प्रभाकर यादव पुत्र श्री दशरथ यादव	ग्राम व पो.बागभार,जिला आजमगढ़	सदस्य	कृषि
8	श्री कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री गया प्रसाद	ग्राम व पो.सुरजूपुर जिला अम्बेडकरनगर	सदस्य	कृषि
9	श्री प्रदीप यादव पुत्र स्व.रामआसरे	ग्राम व पो.विशम्भरपुर,जलालपुर, जिला अम्बेडकरनगर	सदस्य	कृषि
10	श्री राजेश गौतम पुत्र श्री रामसूरत गौतम	ग्राम मीरपुर,पो.बन्दीपुर,जिला अम्बेडकरनगर	सदस्य	समाजसेवा
11	श्री परशुराम पुत्र श्री रामदयाल	ग्राम लाभापार,पो.विशम्भरपुर, जिला अम्बेडकरनगर	सदस्य	कृषि

(6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था उपरोक्त को स्मृति–पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21.1860 के अन्तर्गत समिति को पंजीकृत कराना चाहते है :–

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक 04/03/2012

हस्ताक्षर

गीता यादव
कृष्णकुमार
मुन्नर यादव
राजमणि
राजेशगौतम
महेन्द्र
राजेन्द्र
प्रदीप
परशुराम
रामशब्द
प्रभाकर

नियमावली

1. संस्था का नाम : **मुरता देवी मुन्नर यादव एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी**

2. संस्था का पता : ग्राम बिहामदपुर,पो.आशापार,तहसील जलालपुर,जिला अम्बेडकरनगर

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग**

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में **1000/.** रूपया नकद या इतने ही मूल्य को संपत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा

सामान्य सदस्य : जो व्यकित संस्था के विकास हेतु **100/**रूपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5 **सदस्यता की समाप्तिः**

1 मृत्यु हो जाने पर ।

2 पागल या दिवालिया हो जाने पर ।

3 संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।

4 अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर अथवा त्यागपत्र देने पर।

5 नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

6 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।

7 लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित होने पर।

6 **संस्था के अंग :** **1** साधारण सभा **2** प्रबन्धकारिणी समिति ।

7 **साधारण सभा :**

गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

गीता यादव

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

राजमणि

मुन्नर यादव

सूचना अवधिः साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में एजेण्डे के अनुसार दी जायेगी।

महेन्द्र

राजेश गौतम

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

कृष्ण कुमार

वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी ।

प्रदीप

साधारण सभा के कर्तव्यः

1 प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।

परशुराम

2 संस्था का वार्षिक बजट पास करना।

रामशब्द

3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

राजेन्द्र

प्रभाकर

4 संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

8. **प्रबन्ध कारिणी समिति :**

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा, जिनमे अध्यक्ष एक,प्रबन्धक एक,कोषाध्यक्ष एक,तथा 08 सदस्य सहित कुल संख्या 11 होगी।

बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहूत की जा सकती है।

सूचनाअवधिः प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित एजेण्डे से दी जायेगी।

गणपूर्तिः प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष अवधि के लिए की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :

1 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

2 संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।

3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

4. संस्था के विकास हेतु विभिन्न बैंकों, विभागो/मंत्रालयों से ऋण एंव दान अनुदान आदि प्राप्त करना।

कार्यकाल :प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

9 **प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :**

अध्यक्ष :

1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
4. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।

प्रबन्धक :

1. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
3. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
4. कर्मचारियों/अध्यापकों को नियुक्ति पदोन्निति एवं सेवामुक्ति करना।
5. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्य बनाने हेतु अनुमति प्रदान करना।
6. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
7. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

गीता यादव
राजमणि
मुन्नर यादव
महेन्द्र
राजेश गौतम
कृष्ण कुमार
प्रदीप
परशुराम
राजेन्द्र रामशब्द
प्रभाकर

8. आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।

9. समस्त संस्थाओं / एंजेसियों / विभाग मंत्रालय से समबन्धित समस्त प्रपत्रों, लेखो–विलेखों पर हस्ताक्षर करना।

10. संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।

11 संस्था के बैठकों की सूचना प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।

12 बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाना एवं उसे लिपिबद्व करना।

13. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।

14. संस्था का कार्यालयी प्रबन्ध देखना।

15. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।

कोषाध्यक्ष : 1. चल एवं अचल संपत्ति को देख–रेख व सुरक्षा करना।

2. सदस्यों से सदस्यता शुल्क, दान चंदा आदि प्राप्त करना तथा उसकी यथावधि रसीद प्रदान करना।

3. प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

4. आय व्यय का लेखा जोखा रखना।

10 **संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया :**

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11 **संस्था का कोष :** संस्था का समस्त कोष मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

12 **संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :**

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13 **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :**
संस्था द्वारा होने वाली पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14 **<u>संस्था के अभिलेख</u>** :

1 सदस्यता रजिस्टर 2 कार्यवाही राजिस्टर 3 सूचना/एजेण्डा रजिस्टर 4 लेजर–कैश बुक आदि

15 **संस्था के विघटन एवं विघटित संपत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।**

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक 04/03/2012 **हस्ताक्षर**

गीता यादव

कृष्णकुमार मुन्नर यादव राजमणि

राजेशगौतम महेन्द्र

राजेन्द्र प्रदीप परशुराम

प्रभाकर रामशब्द